विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष एम.डी. बड़गैया

सदस्य निमिष परमार)

प्रकरण क्रमांक / 24 / 2026

सस्थित दिनांक 06.07.2026

श्री पूरन सिंह पटेल, ...परिवादी

पिता स्व. श्री कन्हैया लाल पटेल,

निवासी एसएम 2, शिव मंदिर लेन,

अवंति विहार, रायपुर (छ.ग.)

मोबाईल नं. : 99814–37326

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (पूर्व), ...उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

आदेश

(दिनांक 23 / 07 / 2026 को पारित)

अपने परिसर में स्थापित सोलर संयंत्र से उत्पादित एवं उत्तरवादी के ग्रिड में प्रेषित वास्तविक यूनिट का समायोजन मासिक देयक में न करते हुए मात्र औसत आधारित यूनिट का लाभ दिए जाने से असंतुष्ट होकर एवं मीटर में दर्ज वास्तविक एक्सपोर्ट यूनिट का लाभ देयक में प्रदान किए जाने के निवेदन के साथ परिवादी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. शिव मंदिर के पीछे, अवंति विहार रोड़, रायपुर स्थित परिवादी के परिसर में, घरेलू उपयोग हेतु, 2700 वाट भार का विद्युत कनेक्शन, बी.पी.क्रमांक 1000609399 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया है ।

ख. अपने उक्त परिसर में परिवादी द्वारा 3.0 कि.वा. का सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है जिसका उत्तरवादी के ग्रिड से सिंक्रोनाईजेशन दिनांक 30.04.2026 को किया जा चुका है ।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद / शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी के अनुसार उसके परिसर स्थित सोलर संयंत्र का सिंक्रोनाईजेशन दिनांक 30.04.2026 को उत्तरवादी के ग्रिड के साथ कर दिए जाने के बाद माह मई 2026 के

मासिक देयक में, माह मई 2026 के दौरान सोलर संयंत्र द्वारा उत्पादित एवं उत्तरवादी के ग्रिड में प्रेषित यूनिट का समायोजन नहीं किया गया । उत्तरवादी के कार्यालय से संपर्क किए जाने एवं सोलर संयंत्र से उत्पादित वास्तविक यूनिट की जानकारी देने पर भी औसत आधार पर मात्र 400 यूनिट का ही समायोजन करते हुए देयक संशोधित कर दिया गया । परिवादी द्वारा, मीटर रीडिंग लेते हुए सोलर संयंत्र से उत्पादित सही यूनिट का मापन कर देयक प्रदान करने का निवेदन किया गया है ।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 1803 दिनांक 10.07.2026 के माध्यक से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी के परिसर स्थित सोलर संयंत्र से उत्पादित एवं ग्रिड में प्रेषित यूनिट का लाभ मासिक देयक में प्राप्त नहीं होने संबंधी परिवादी की शिकायत प्राप्त होने पर स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि बिल में सोलर संयंत्र की एक्सपोर्ट यूनिट दर्ज नहीं होने के कारण परिवादी को माह मई 2026 के देयक में सोलर रिबेट नहीं मिल पाया है, तत्पश्चात परिवादी द्वारा सतत् सम्पर्क करने पर माह मई 2026 के देयक में सोलर रिबेट प्रदान कर दिया गया है ।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

(i) क्या सोलर संयंत्र से प्रतिमाह उत्पादित संपूर्ण यूनिट का लाभ, मासिक देयक में प्रदान किए जाने की, परिवादी की मांग सही है ।

(ii) क्या परिवादी के माह मई 2026 के देयक में उत्तरवादी द्वारा औसत आधार पर प्रदायित 400 यूनिट का सोलर रिबेट नियमानुसार है ।

(iii) क्या परिवादी के देयक में सोलर रिबेट प्रदान न करते हुए उत्तरवादी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है । यदि हां, तो क्या इस आधार पर परिवादी, उत्तरवादी से प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

6. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उसके परिसर में स्थापित सोलर संयंत्र के साथ स्थापित मीटर में सिंक्रोनाईजेशन दिनांक 30.04.2026 को 10140 यूनिट दर्ज थी एवं दिनांक 30.06.2026 को उक्त मीटर में दर्ज यूनिट 11161 थी । इस प्रकार उसके सोलर संयंत्र से दो माह में 1012 यूनिट एक्सपोर्ट हुई । इस आधार पर उसे एक माह की एक्सपोर्ट यूनिट 1012/2 = 506 यूनिट का लाभ माह मई 2026 के देयक

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

में उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया जाना था जो कि नहीं किया गया । इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता के देयक में, उसके मीटर में दर्ज एक्सपोर्ट यूनिट का ही लाभ प्रदान किया जाता है न कि उपभोक्ता के सोलर संयंत्र से उत्पादित संपूर्ण यूनिट का ।

परिवादी द्वारा अपने सोलर संयंत्र से उत्पादित यूनिट एवं उत्तरवादी के ग्रिड में प्रेषित यूनिट की अंतर यूनिट के संबंध में जानकारी लेने पर फोरम द्वारा यह बताया गया कि सोलर संयंत्र से उत्पादित यूनिट उपभोक्ता के उपयोग के पश्चात शेष अतिरिक्त यूनिट उत्तरवादी के ग्रिड में चली जाती है । परिवादी के अनुसार उसके द्वारा अपने सोलर संयंत्र से उत्पादित यूनिट के विरूद्ध अपने परिसर में उपयोग किए गए यूनिट को दर्ज करने के लिए जब कोई मीटर परिसर में स्थापित नहीं है तो किस आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि उसके द्वारा अपने सोलर संयंत्र से उत्पादित यूनिट का कुछ हिस्सा अपने परिसर में उपयोग किया गया है । अवगत हो कि सोलर संयंत्र से उत्पादित यूनिट के उत्तरवादी के ग्रिड से जुडने के बाद यह तय किया जाना, कि परिसर में किया जा रहा विद्युत का उपयोग सोलर संयंत्र की यूनिट से है या उत्तरवादी के ग्रिड से, तकनीकी रूप से संभव नहीं है । यद्यपि परिवादी के सोलर संयंत्र से उत्पादित संपूर्ण यूनिट से, उत्तरवादी के परिसर में स्थापित मीटर में दर्ज एक्सपोर्ट यूनिट को घटाते हुए परिवादी द्वारा अपने परिसर में उपयोग की गयी सोलर यूनिट की गणना की जा सकती है ।

उक्त विचारणीय प्रश्न का यह निष्कर्ष निकलता है कि अपने सोलर संयंत्र से उत्पादित संपूर्ण यूनिट को एक्सपोर्ट यूनिट मानकर उसका लाभ मासिक देयक में प्रदान किए जाने का परिवादी का दावा सही नहीं है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

7. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उत्तरवादी द्वारा माह मई 2026 का देयक सोलर रिबेट देते हुए प्रदान नहीं किया गया एवं कार्यालय में संपर्क किए जाने पर, औसत आधार पर 400 यूनिट का सोलर रिबेट प्रदान करते हुए देयक संशोधित कर दिया गया जो नियमानुसार सही नहीं है । परिवादी द्वारा मांग की गयी कि मीटर में दर्ज वास्तविक एक्सपोर्ट यूनिट के अनुसार सोलर रिबेट प्रदान किया जाय ।

दिनांक 17.07.2026 को फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.04.2026 को परिवादी के परिसर स्थित सोलर संयंत्र का ग्रिड के साथ सिंक्रोनाईजेशन तो कर दिया गया लेकिन कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण परिसर में स्थापित बाईडायरेक्शनल मीटर में एक्सपोर्ट यूनिट दर्ज नहीं हुई । जिसके कारण माह मई 2026 के लिए परिवादी के सोलर संयंत्र से ग्रिड को एक्सपोर्ट की गयी यूनिट का सही निर्धारण नहीं किया जा सका और माह मई 2026 का मासिक देयक बगैर सोलर रिबेट के ही प्रेषित कर

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

दिया गया । परिवादी द्वारा कार्यालय में संपर्क किए जाने एवं सोलर संयंत्र द्वारा उत्पादित यूनिट की जानकारी दिए जाने के बाद, एक्सपोर्ट यूनिट की वास्तविक गणना के अभाव में, औसत एक्सपोर्ट यूनिट 400 निर्धारित करते हुए उक्त यूनिट का लाभ देयक में प्रदान करते हुए संशोधित देयक परिवादी को प्रदान किया गया ।

उक्त विचारणीय प्रश्न का यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवादी के परिसर में स्थापित बाईडायरेक्शनल मीटर द्वारा तकनीकी कारणों से परिवादी के सोलर संयंत्र द्वारा ग्रिड में प्रेषित (एक्सपोर्ट) यूनिट दर्ज नहीं किए जाने एवं एक्सपोर्ट यूनिट की गणना का अन्य कोई उचित आधार उपलब्ध न होने की स्थिति में, औसत आधार पर एक्सपोर्ट यूनिट का निर्धारण करते हुए उसका लाभ मासिक देयक में दिए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही सही है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक (iii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

8. परिवादी के अनुसार माह मई 2026 के देयक में सोलर एक्सपोर्ट यूनिट का लाभ न देकर उत्तरवादी द्वारा सेवा में कमी की गयी है जिसके लिए वह उत्तरवादी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है । उत्तरवादी के अनुसार परिवादी के शिकायत के आधार पर माह मई 2026 के संशोधित देयक में सोलर रिबेट जारी कर दी गई थी । अतः सेवा में कमी का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है । फोरम के अनुसार दिनांक 30.04.2026 को परिवादी के सोलर संयंत्र के उत्तरवादी के ग्रिड के साथ सिंक्रोनाईज होने के बाद प्रथम बार माह मई 2026 के देयक में सोलर एक्सपोर्ट यूनिट का लाभ उत्तरवादी द्वारा परिवादी को स्वतः ही प्रदान किया जाना था जो परिवादी द्वारा उत्तरवादी के कार्यालय से संपर्क किए जाने के बाद ही, औसत आधार पर, प्रदान किया गया । उत्तरवादी के अनुसार तकनीकी कारणों से बायडारेक्शनल मीटर में एक्सपोर्ट यूनिट दर्ज न होने के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई ।

उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि विलंब से ही सही, उत्तरवादी द्वारा परिवादी के माह मई 2026 के देयक में सोलर रिबेट दिया जाना नियमानुसार है । माह मई 2026 के लिए एक्सपोर्ट यूनिट की गणना का कोई अन्य उचित आधार न होने पर औसत आधार पर 400 एक्सपोर्ट यूनिट का निर्धारण किया जाना, जो कि परिवादी द्वारा माह मई 2026 में उत्पादित कुल यूनिट का लगभग 80% है, भी नियमानुसार है । छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम 2024 में दर्ज "अनुसूची 1 एवं 2 का अनुलग्नक" में भी सोलर रिबेट देने में उत्तरवादी द्वारा किए गए विलंब या लापरवाही की स्थिति में उपभोक्ता को देय प्रतिकर राशि का कोई उल्लेख नहीं है । अतः परिवादी, उत्तरवादी से किसी प्रकार की प्रतिकर राशि प्राप्त करने का पात्र नहीं है ।

9. परिवादी द्वारा, आगामी मासिक देयकों में भी सोलर संयंत्र से उत्पादित एवं उत्तरवादी के ग्रिड में प्रेषित यूनिट का लाभ प्राप्त नहीं होने की आशंका व्यक्त किए जाने पर उत्तरवादी द्वारा आश्वस्त किया गया कि चूंकि वर्तमान में परिवादी के परिसर स्थित बायडारेक्शनल मीटर द्वारा एक्सपोर्ट यूनिट को निरंतर दर्ज किया जा रहा है अतः परिवादी को प्रेषित किए जाने वाले आगामी देयकों में एक्सपोर्ट यूनिट का लाभ, मीटर में दर्ज वास्तविक यूनिट के आधार पर प्रदान किया जावेगा ।

10. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत हम यह पाते है कि परिवादी अपना मामला साबित करने में असफल रहा है । अस्तु प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है –

(i) परिवादी को प्रेषित माह मई 2026 के देयक में तकनीकी त्रुटि के कारण औसत आधार पर एक्सपोर्ट यूनिट का निर्धारण कर प्रदायित सोलर रिबेट उत्तरवादी कंपनी में प्रचलित नियमों के अनुसार है ।

(ii) फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि परिवादी को आगामी मासिक देयक मीटर में दर्ज वास्तविक एक्सपोर्ट यूनिट के आधार पर दिया जाना सुनिश्चित करे ।

11. यदि परिवादी/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

(निमिष परमार)
सदस्य

आदेश पारित किया गया

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष